

तारीख हुकम
 हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स फज

२०/५/१७
~~पत्रावली पेश हुई। वकील वादा
 वाले साक्ष्यवाली हेतु फज किास
 १७/७/१७ को पेश हो~~

१७/७/२५
 पत्रावली पेश हुई। वकील वादा
 प्रतिवादी उपस्थित/अनु. पीठासीन
 अधिकारी राज कार्य से मीटिंग
 शिविर मुख्यालय से बाहर है।
 पत्रावली पूर्ववत् दि. २५/७/२५
 को पेश हो

१९/९/२५
 पत्रावली पेश हुई। वकील वादा
 प्रतिवादी उपस्थित/अनु. पीठासीन
 अधिकारी राज कार्य से मीटिंग,
 शिविर मुख्यालय से बाहर है।
 पत्रावली पूर्ववत् दि. १०/११/२५
 को पेश हो

१०/११/२५
~~पत्रावली पेश हुई। वकील वादा
 प्रतिवादी उपस्थित/अनु. पीठासीन
 अधिकारी राज कार्य से मीटिंग,
 शिविर मुख्यालय से बाहर है।
 पत्रावली पूर्ववत् दि. १०/११/२५
 को पेश हो~~

१३/११/२५
 पत्रावली पेश हुई। वकील वादा
 प्रतिवादी उपस्थित/अनु. पीठासीन
 अधिकारी राज कार्य से मीटिंग,
 शिविर मुख्यालय से बाहर है।
 पत्रावली पूर्ववत् दि. १०/११/२५
 को पेश हो

जज
 ऑनलाईन नं.
 पत्र नं. 35
 डी. 5

बनाम
 मुकदमा नं. ऑनलाईन नं.

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अदकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुए

गाए-बाए माताज तगबापी गति, न
 ने बापी बकील जन. मोहन न ही
 जति. जन. 20 । गे. मरूपलित
 रहे । इससे यह उनीत होता है
 कि यह जगपत्र 212 RT Act की
 चल्ना नहीं चलता है, बकील कमपल्यार
 बाए गभीरता से ही लिखा गया, और
 जगपत्र 212 RT Act की इसी तरह
 पर खालि किया जाता है। इस चर्चा
 का कोई मांगिन्य नहीं है। फलतः
 केमल कुमार दोषद नबद से सजा की
 जाकर फल. डिजिट 19/11/17 की
 डाकिले इसल ~~कि~~ था।
 ध